तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30/1/26	पत्रा. पेश। वास्ते आदेश 27/3/26 को पेश हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी
27/3/26.	पत्रा. पेश। वादी ने धारा 88, 89, 188, 48 RT Act के अंतर्गत वाद पेश किया है। वादी का कथन है कि ग्राम किशोरपुरा स्थित तहसील रामगंजमंडी पुराना खसरा सं 12 की रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा व खसरा संख्या 50 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 3 बीघा 15 बिस्वा के नए खसरा नं 16 की रकबा 0.32 हे, खसरा नं 83 की 0.29 है. वादी के खाते स्थित है। खसरा नं 12 के नए खसरा नं 16, खसरा नं 50 के नए खसरा नं 14, 96, 77, 82, 83 बने है। वादीगण का कब्ज़ा खसरा नं 14 पर है जो कि राजस्व रिकार्ड में गैं.मु. रास्ता दर्शाया गया है। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी का असंतोष है कि खसरा न. 14 वादी के खाते दर्ज करवाके खसरा न. 83 जो कि रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है सिवाय चक रास्ता दर्ज किया जाए।	
	जमाबंदी प्रतिलिपि संवत 2071-74 अनुसार ओमप्रकाश व राधेश्याम का 1/2 हिस्सा खसरा 16 व 83 रकबा 0.61 में दर्ज है।	
	मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा 83 0.29 हेक्टेयर पुराने खसरा 50मि. रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा से बना है।	
	उसी प्रकार ख.न. 16 रकबा 0.32 हेक्टेयर पुराने ख.न. 12 1 बीघा 19 बिस्वा से बना है।	
	खसरा न. 14 रकबा 0.34 हेक्टेयर 50मि. 4 बीघा 6 बिस्वा से बना है।	
	विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता कैलाश ने क्रेता ओमप्रकाश व राधेश्याम का खाता नं. 15/16 में स्थित खसरा न. 12 की 1 बीघा 19	उपखण्ड अधिकारी [illegible]मण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहल्मद हुक्म में
	बिस्वा तथा खसरा न. 50 ~~रकबा~~ रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा है। यह रकबा नए खसरा न. 16 व खसरा न. 83 से मिलान कर रहा है। विक्रय पत्र में खसरा न. 50 की रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा जो नए खसरा न. 83 के बराबर है। नए खसरा न. 14 का रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा है जो कि विक्रय पत्र से मिलान नहीं रखता। अत: वादी तनकी न. 1 को साबित करने में असफल रहा है। इसके अतिरिक्त TDR की रिपोर्ट में वादी का कब्जा खसरा न. 14 पर होना बताया है व खसरा न. 83 से गैर मुमकिन सड़क चालू होना बताया है। परन्तु कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। जब विक्रय पत्र में उल्लेखित खसरो का मिलान वादी के वर्तमान खसरो से होता है	

उपखण्ड अधिकारी

[illegible]मण्डी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तो कोई तर्क नहीं है कि वादी को खसरा न.14 खाते में दिया जाए। कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिए जा सकते। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। वादी खसरा न.14 में अपना स्वामित्व साबित करने में असफल रहा है। निर्णय आज दिनांक 27/03/26 को सुनाया गया। फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी	